पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक 326/अका./07 रायपुर, दिनांक 27/10/2007

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक 06.10.2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित उपस्थित रहे :-

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. अवध राम चंद्राकर, कुलाधिसचिव	सदस्य
3.	प्रो. रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) जयलक्ष्मी ठाकुर	सदस्य
5.	डॉ. एस.के. मिश्र	सदस्य
6.	डॉ. (श्रीमती) उषा दुबे	सदस्य
7.	डॉ. बी.एन. शर्मा	सदस्य
8.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	सदस्य
9.	डॉ. एस.जे. केकरे	सदस्य
10.	डॉ. (श्रीमती) इंदु अनंत, कुलसचिव	सचिव

अनुपस्थित रहे -

शिक्षा सचिव या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति, श्री सतीश पांडे, उप सचिव-वित्त, स्वामी निखिलात्मानन्द जी। श्री राहुल महावर।

कार्यवृत्त

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न)

निर्णय :- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.08.2007 में लिये गये निर्णय के साथ छत्तीसगढ़ी की मानक शब्दावली और शब्दकोष तैयार करने की परियोजना बनाने और उस पर शोधपरक कार्य करने का दायित्व साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला को सौंपा जाए, इसे कार्यपरिषद के निर्णय में समाहित करते हुए कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई। हिंदी विषय एवं अंग्रेजी विभागों के लिए सेटअप में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की मांग के लिए राज्य शासन को पत्र लिखे जाने का भी निर्देश दिया गया।

कार्यवाही : अकादमिक विभाग एवं प्रशासन विभाग

02. सहायक कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के प्रकरण पर विचार करना।

टीप :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिएस्वीकृत अशैक्षणिक सेटअप में सहायक कुलसचिव के 07 पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में एक भी सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय में पदस्थ नहीं हैं, यह पद राज्य शासन द्वारा पदोन्नति/सीधी भरती से भरा जाने वाला पद है।

सहायक कुलसचिव पदस्थ न होने से सहायक कुलसचिव स्तर से होने वाले कार्य प्रभावित हो रहे हैं, यथा अंकसूची, माइग्रेशन, पात्रता आदि में हस्ताक्षर, विभागीय कार्यालय में कार्यों का सामंजस्य एवं नियंत्रण।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत 04 कक्ष अधिकारियों की सहायक कुलसचिव के लिए निर्धारित अर्हता एवं गोपनीय चरित्रावली, पदोन्नति समिति के माध्यम से देखकर योग्य एवं

उपर्युक्त पाये जाने पर मूल पद के साथ सहायक कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार देकर (वेतनमान नहीं) मूल वेतन का 6 1/4% मानदेय/भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अत: विश्वविद्यालय हित में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्धारित अर्हता, गोपनीय चरित्रावली एवं उपयुक्तता का परीक्षण कर इन्हें अतिरिक्त प्रभार देते हुए अधिकतम 06 माह अथवा राज्य शासन द्वारा पदों की प्रतिपूर्ति, जो भी पहले हो की जाए एवं की गई कार्यवाही से राज्य शासन को सूचित की जावे।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

03. दैनिक हरिभूमि में प्रकाशित समाचार ''सैक्स स्केंडल - विश्वविद्यालय के दामन पर एक धब्बा'' से संबंधित प्रकरण पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा जाँच कर प्रस्तुत सीलबंद प्रतिवेदन पर निर्णय लेने विषयक।

निर्णय :- सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत की गई जाँच रिपोर्ट, ''मेरे विनम्र मत में डॉ. परवेज के विरुद्ध विभागीय जाँच किये जाने का प्रथम दृष्टया आधार नहीं है'', को कार्यपरिषद ने मान्य किया एवं अनर्गल आरोप लगा विश्वविद्यालय की छवि एवं प्रतिष्ठा धूमिल करने के प्रयास करने वाली छात्रा को कारण बताओ नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही : अकादमिक विभाग

04. इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला में खराब उपकरणों का अपलेखन पर विचार करना।
टीप :- खराब उपकरणों की सूची संलग्न है।

निर्णय :- नियमानुसार अपलेखन करने हेतु मान्य किया गया।

कार्यवाही : इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला

05. बी.ई. षष्टम सेमेस्टर (कम्प्यूटर साइंस) रोल नं. 46529, बी.ई. अष्टम सेमेस्टर (मेकेनिकल) रोल नं. 46628 के परीक्षा परिणाम में हुई त्रुटि के संबंध में विचार करना।
कार्यालयीन टीप :- छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, दुर्ग के छात्र श्री कार्तिक आर., बी. ई. षष्टम सेमेस्टर (कम्प्यूटर साइंस) रोल नं. 46529 के मल्टीमिडिया लैब विषय के प्रायोगिक विषय के टीच एसिस्मेंट में प्राप्तांक 18 के स्थान पर 08 अंक लिपिकीय त्रुटिवश अंकित हो गया है। इसी प्रकार छात्र श्री अनुराग चंद्र साव, बी.ई. अष्टम सेमेस्टर (मेकेनिकल) रोल नं. 46629 रेफ्रिजरेटर एंड कंडिशनिंग के सेशनल अंक में 22 के स्थान पर 02 अंक लिपिकीय त्रुटि के कारण अंकित हो गया है, जिस सही करने हेतु प्राचार्य ने अनुरोध किया है। इस संबंध में महाविद्यालय ने हलफनामा भी प्रस्तुत किया है, जिसमें भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराए जाने का उल्लेख किया है।

निर्णय :- महाविद्यालय का अनुरोध अस्वीकार किया गया।

कार्यवाही : गोपनीय विभाग

06. डॉ. व्ही.के. गुप्ता, प्रभारी ओ.एस.डी., अनुदान प्रकोष्ठ की नियुक्ति के संबंध में विचार करना।
टीप :- कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.11.2006 के निर्णय के अनुसार 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं यू.जी.सी. से संबंधित कार्य के सुचारू रूप से संचालित करते हुए प्रस्ताव तैयार करा कर अधिक से अधिक अनुदान की स्वीकृति पश्चात निर्धारित अवधि में संबंधित विभागों से कार्य पूरा करा कर उपयोगिता प्रमाण-

पत्र प्रेषित करने संबंधित कार्य हेतु अनुदान प्रकोष्ठ शाखा में डॉ. व्ही.के. गुप्ता को रु. 10,000/ प्रतिमाह मानदेय पर एक वर्ष के लिए समन्वयक दिनांक 25.11.2006 को नियुक्त किया गया है। उक्त निर्णय एवं आदेश को स्थायी निधि संपरीक्षा ने ऑडिट पत्रक क्र. 132, दिनांक 14.09.2007 के द्वारा आपत्ति दर्ज किया है। अत: विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- डॉ. व्ही.के. गुप्ता की आयु 65 वर्ष हो चुकी है, वर्तमान में डॉ. गुप्ता द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यू.जी.सी. से अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं यू.जी.सी. से संबंधित कार्य के सुचारू रूप से संचालित करते हुए प्रस्ताव तैयार करा कर अधिक से अधिक अनुदान की स्वीकृति पश्चात निर्धारित अवधि में संबंधित विभागों का कार्य किया जा रहा है। अत: डॉ. गुप्ता द्वारा किये जा रहे कार्य के आधार पर मानदेय निर्धारित कर कार्य लिया जाना मान्य किया जाता है। सौंपे गये दायित्व पूर्ण होने पर इनकी सेवाएँ स्वत: समाप्त हो जाएगी।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

07. श्री टी.व्ही. दिवाकरण को कुलपति के सचिव के पद पर संविदा नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

टीप :- कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर श्री टी.व्ही. दिवाकरण को सर्वप्रथम दिनांक 29.10.2005 को कुलपति के सचिव के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात 2006 में भी कार्यपरिषद के निर्णय के आधार पर इन्हें संविदा नियुक्ति दी गई है। वर्तमान में ये कुलपति के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

स्थानीय निधि संपरीक्षा ने दिनांक 25.09.2007 के पत्र के माध्यम से आपत्ति दर्ज किया है कि इनकी संविदा नियुक्ति विधि विरुद्ध है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति नियम 2004) के विपरीत है। अत: विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुलपति प्रथम अपीलय अधिकारी हैं अत: उन प्रथम अपीलों से संबंधित पत्राचार एवं अभिलेखों से संबंधित कार्य हेतु श्री टी.व्ही. दिवाकरण को अस्थाई रूप से मानदेय मासिक दर पर रखा जावे।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

08. विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2007 से शासन द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता लागू करने के संबंध में विचार करना।

टीप :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. 285/284/वित्त/नियम/ 4/2007, दिनांक 29.09.2007 के अनुसार 35% महंगाई भत्ता माह अक्टूबर 2007 के वेतन जो माह नवंबर 2007 में देय है, भुगतान हेतु आदेश प्रसारित किया है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता की पात्रता है। उक्त महंगाई भत्ता विश्वविद्यालयके अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को स्वीकृत करने पर रु. 2,99,739/- का व्यय मासिक भार में वृद्धि होगी, चूँकि माह अक्टूबर 2007 का वेतन देयक तैयार किया जाना है, अत: महंगाई भत्ते में वृद्धि 6% को आदेशानुसार वेतन में जोड़ने की स्वीकृति पर विचार करने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :- स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही : वित्त विभाग

09. विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के पद पर किसी अधिकारी/प्रोफेसर को नियुक्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय ने नये सेटअप अनुमोदन हेतु राज्य शासन के पास विभिन्न पदों को दर्शाकर प्रेषित किया

परंतु राज्य शासन द्वारा सेटअप अनुमोदन पत्र दिनांक 01.05.2006 में परीक्षा नियंत्रक के पद को सेटअप में अनुमोदित नहीं किया।

विश्वविद्यालय से करीब 265 महाविद्यालय संबद्ध हैं, विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली लागू किया गय है, पाँच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस स्थिति में परीक्षा नियंत्रक पद विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक है। कार्यपरिषद ने परीक्षा नियंत्रक पद की स्वीकृति के लिए राज्य शासन को पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया है।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

10. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम, विनियम क्र. 110 के अनुसार विभिन्न अध्ययनशालाओं में शिक्षकों के पदों एवं शुल्क के रख-रखाव के संबंध में विचार करना।

टीप :- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु विनियम 110 दिनांक 11.09.2002 से प्रभावशील है, परंतु इस संबंध में इस पाठ्यक्रम हेतु विभागों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति, वेतनमान, सेवानिवृत्ति आयु, पेंशन/जी.पी.एफ. अथवा सी.पी.एफ. के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है, इससे इन विभागों में नियुक्तियों एवं वित्तीय नियंत्रण में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। विनियम 110 संलग्न है, विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि स्ववित्तीय पाठ्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा पृथक से रखा जावे।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

11. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने के संबंध में विचार करना।

टीप :- राज्य शासन के पत्र दिनांक 21.12.2006 के अनुसार संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के पद को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय के कार्य के स्वरूप, कुशल संचालन एवं ज्ञान के संबंध में बाहरी व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति होने पर विश्वविद्यालय के कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होगी। इन दो पदों पर प्रतिनियुक्ति से नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्र की प्रति संलग्न है, विचार हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद एवं अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के कार्यों, कर्त्तव्यों एवं अधिकारों की जानकारी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को रहती है अत: इन पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने/ विश्वविद्यालयीन शिक्षकों से कार्य लेने हेतु कुलपति जी को नियमानुसार कार्यवाही के लिए अधिकृत किया जाए।

12. शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विचार करना।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

टीप :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ अशासकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य शासन अनुदान प्रदान करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य शासन के आदेश के अनुसार ऐसे महाविद्यालयों में आरक्षण का पालन किया जाना अनिवार्य है। किंतु ऐसे महाविद्यालय कक्षा में प्रवेश, शिक्षकों की नियुक्ति एवं अशैक्षणिक पदों की नियुक्ति में आरक्षण का पालन नहीं कर रहे हैं। विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :- इस संबंध में नियंत्रण राज्य शासन का होता है अत: राज्य शासन इसकी निगरानी करे साथ ही विश्वविद्यालय का एस.सी. एवं एस.टी. प्रकोष्ठ भी इस संबंध में महाविद्यालयों को प्रावधानों से अवगत कराकर प्रावधानों का पालन कराये।

कार्यवाही : एस.सी./एस.टी. प्रकोष्ठ, अकादमिक विभाग एवं डी.सी.डी.सी.

13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दिनांक से एरियर्स का भुगतान करने हेतु विचार करना।

निर्णय :- प्रकरण स्थगित किया गया।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग

14. मानवविज्ञान अध्ययनशाला के अंतर्गत पी.जी. डिप्लोमा इन क्रिमनोलॉजी एंड फॉरेसिंक साइंस विषयों के अध्यापन हेतु शिक्षक नियुक्त करने के संबंध में विचार करना।

टीप :- मानवविज्ञान अध्ययनशाला में एम.ए./एम.एस-सी. फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी एवं एम.फिल. एंथ्रोपोलॉजी पाठ्यक्रम सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित है, जिसके लिए राज्य शासन द्वारा सेटअप में प्रोफेसर, रीडर, एवं व्याख्याता के पद क्रमश: 01, 03 एवं 04 अनुमोदित किये गये हैं, परंतु पी.जी. डिप्लोमा इन क्रिमनोलॉजी एंड फारेंसिक साइंस एवं पंचवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम फारेंसिक साइंस हेतु शिक्षकों के पदों का सेटअप राज्य शासन से नहीं भेजा गया है, परंतु दोनों विषयों हेतु 10-10 सीट के आधार पर अध्यापन कार्य प्रात: 09 बजे से संचालित हो रहे हैं। अत: इस हेतु 02 शिक्षकों (01 फारेंसिक साइंस एवं 01 क्रिमनोलॉजी विशेषीकरण) एवं उनके प्रयोगशाला हेतु 01 तकनीकी सहायक एवं 01 लेब अटेंडेंट/भृत्य को नियुक्त करने के संबंध में विचार करने हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :- स्ववित्तीय पाठ्यक्रम के विनियम 110 के अनुसार विभागाध्यक्ष उपरोक्त पदों की नियुक्ति हेतु नाम प्रस्तावित करे।

कार्यवाही : मानवविज्ञान अध्ययनशाला

15. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रोस्टर निर्धारण के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

टीप :- प्रशासन कक्ष में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों में रोस्टर निर्धारण की पंजी किया गया है। उक्त रोस्टर निर्धारण को विश्वविद्यालय की सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षक एवं अधिकारियों की एक समिति ने परीक्षण किया। उक्त परीक्षा के पश्चात कुलसचिव ने उस पंजी पर अपने हस्ताक्षर दर्शाकर संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर के पास परीक्षण हेतु भेजा। वहाँ परीक्षण के पश्चात संयुक्त संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास ने रोस्टर को सही होने का पत्र दिनांक 29.09.2007 को दिया है। पत्र संलग्न है।

निर्णय :- सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

16. यात्रा देयकों की भुगतान की स्वीकृति वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर/स्वीकृति से किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप :- संलग्न है।

निर्णय :- नियमानुसार यात्रा देयक प्रमाणीकरण एवं रु. 5000/- तक के यात्रा देयकों की स्वीकृति वित्ताधिकारी द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही : वित्त विभाग

17. वर्ष 2007 के प्रावीण्य छात्र/छात्राओं हेतु स्वर्ण पदक निर्माण के संबंध में विचार करना।

टीप :- शैक्षणिक सत्र 2006-07 के प्रावीण्य सूची में पात्रता रखने वाले छात्र/छात्राओं के लिए स्वर्ण-पदक का निर्माण कराया जाना है। वर्तमान में पदक 18 ग्राम चांदी गोलाकार मेडल पर, जिसका व्यास 1.25

इंच है, उस पर गोल्ड प्लेटिंग कर निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2006 में प्रति पदक निर्माण पर 442/- रु. व्यय हुआ था। पदक की गुणवत्ता बढ़ाई जाने हेतु 14 कैरेट (10 ग्राम गोल्ड) का स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में विचार हेतु प्रस्ताव है क्योंकि दानदाताओं द्वारा जमा किये जाने वाली राशि की वार्षिक ब्याज दर की राशि में से पदक निर्माण में होने वाली व्यय बहुत कम है।

निर्णय :- एक समान एवं एक ही प्रकार की गुणवत्ता का 14 कैरेट स्वर्ण से पदक का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यवाही : विकास विभाग एवं परीक्षा विभाग

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :-

18. अकादमिक स्टाफ कॉलेज हेतु शिक्षकों के साक्षात्कार के संबंध में।

निर्णय :- निम्नलिखित प्रत्याशियों के चयन की अनुशंसा चयन समिति द्वारा की गई :-

डायरेक्टर/प्रोफेसर	:	योग्य नहीं पाये गये।
रीडर	:	योग्य नहीं पाये गये।
व्याख्याता	:	1. रीडर पद के विरुद्ध डॉ. अरविंद अग्रवाल का चयन किया गया
		2. व्याख्याता पद के विरुद्ध श्री बृजेन्द्र पाण्डे का चयन किया गया

चयन समिति की अनुशंसा को कार्यपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

19. विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सैनिक सुरक्षा बाबत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए दो विभिन्न-विभिन्न पंजीकृत सिक्यूरिटी सर्विसेस से कलेक्टरेट दर पर आवश्यकतानुसार गार्ड एवं गनमेन की सेवाएँ ली जा रही हैं। इनके भुगतान पर ऑडिट द्वारा अनुबंध किये जाने की निर्देश देते हुए आपत्तियाँ दर्ज की जाती रही हैं। कार्यपरिषद ने निर्णय लिया कि किये गये कार्य का भुगतान किया जावे एवं नियमानुसार विज्ञापन कर सुरक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा अनुबंध किया जावे।

कार्यवाही : कुलअनुशासक कार्यालय

20. यू.जी.सी., सैप, डी.आर.एस.- I के अंतर्गत स्वीकृत उपकरण क्रय करने के संबंध में।

निर्णय :- मानवविज्ञान अध्ययनशाला को प्राप्त यू.जी.सी., सैप, डी.आर.एस.- I अनुदान में उपकृत उपकरण के संबंध में विभागीय क्रय समिति की बैठक दिनांक 29.09.2007 को संपन्न हुई थी। उपकरण एल.सी. माध्यम से क्रय हेतु एस.बी.आई. कामर्शियल ब्रांच रायपुर को उनके द्वारा बताये गये अनुमानित व्यय के आधार पर रु. 12,99,289/- बैंक से जमा किया जाना है। उक्त राशि अग्रिम दिया जाना है, ताकि बैंक में जमा किया जा सके। इसे कार्यपरिषद ने स्वीकृति प्रदान किया।

कार्यवाही : मानवविज्ञान अध्ययनशाला

21. भौतिक अध्ययनशाला हेतु टेलीस्कोप के डोम क्रय करने के संबंध में।

निर्णय :- मेसर्स मेकेंटेक इंटरप्राइजेस, बेंगलोर को माह नवंबर 2006 को 6,13,000/- (50%) की राशि का

अग्रिम भुगतान कार्यपरिषद के अनुमोदन के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक, जे.पी. नगर, बैंगलोर के माध्यम से भेजा गया था। यह अग्रिम भुगतान टेलीस्कोप के डोम के निर्माण हेतु किया गया था। फर्म ने अपने व्यक्तिगत कारणों से बैंक ग्यारंटी नहीं बनाया है एवं इसमें छूट दिये जाने का अनुरोध किया है। फर्म निर्माता एवं भारत के गिने-चुने फर्मों में से एक है। फर्म टेलीस्कोप डोम के निर्माता फर्म हैं इसलिए बैंक ग्यारंटी से छूट दिया जाना मान्य किया जाता है।

कार्यवाही : भौतिक अध्ययनशाला

22. अशैक्षणिक कर्मचारियों के समस्यओं के निराकरण के संबंध में।

निर्णय : अशैक्षणिक कर्मचारियों के समस्याओं के निराकरण के संबंध में कार्यपरिषद की उपसमिति गठित की गई थी। उप समिति के द्वारा अनुशंसित किये गये बिंदुओं पर कार्यपरिषद निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान करती है : -

क. समिति द्वारा व्यक्तिगत प्रकरण पर स्पष्ट रूप से संस्तुति को कार्यपरिषद स्वीकार करती है।

ख. वरिष्ठता संबंधी अभ्यावेदनों के निराकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति (राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग के प्रथम श्रेणी अधिकारी - अध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य - सदस्य, विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के आचार्य - सदस्य एवं उप कुलसचिव प्रशासन - प्रस्तुतकर्त्ता अधिकारी होंगे)समिति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रथम नियुक्ति से आज तक के वरिष्ठता संबंधी प्रकरण का विश्वविद्यालय प्रावधानों के अंतर्गत/राज्य शासन के नियमांतर्गत निराकरण कर अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी। समिति की अनुशंसा पृथक से संलग्न है।

ग. लैब अटेंडेंट से संबंधित संस्तुति से सहमत नहीं है।

कार्यवाही : प्रशासन विभाग

23. विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से छात्र संख्या बाबत।

निर्णय :- विश्वविद्यालय से संबद्ध 263 महाविद्यालयों से 66 महाविद्यालय द्वारा समय-सीमा पर छात्र संख्या नहीं भेजे जाने पर स्मरण-पत्र एवं अंतिम चेतावनी देते हुए 03 अक्टूबर की तिथि अंतिम समय-सीमा निर्धारित की। आज दिनांक 39 महाविद्यालयों से छात्र संख्या आना शेष है। कार्यपरिषद ने छात्र संख्या नहीं आने वाले महाविद्यालयों पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। कार्यपरिषद ने इन महाविद्यालयों को परीक्षा आवेदन-पत्र छात्रों की प्रवेश नहीं होना मानते हुए उपलब्ध न कराये जाने का निर्देश भी दिया है एवं इसकी सूचना महामहिम राज्यपाल एवं उच्च शिक्षा विभाग को भी प्रेषित करने का निर्देश दिया है।

कार्यवाही : परीक्षा विभाग

24. डॉ. महेश चंद्र शर्मा को संस्कृत के शोध-प्रबंध में डी.लिट्. की उपाधि प्रदान करने के संबंध में।

निर्णय :- दो परीक्षकों से प्राप्त संस्तुति अनुसार डॉ. महेश चंद्र शर्मा को कार्यपरिषद ने डी.लिट्. की उपाधि प्रदान करने की संस्तुति की।

कार्यवाही : अकादमिक विभाग

कुलपति

कुलसचिव

क्रमांक 327/अका./07

रायपुर, दिनांक 24/10/200

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को,
3. जनसंपर्क अधिकारी,
4. वित्ताधिकारी/सामान्य प्रशासन/परीक्षा विभाग/गोपनीय विभाग/आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव/कुलसवि के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव